

संख्या-11030/20/73-अ.भा.से.॥।१

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक १३ चूल्हा 1978

अधि सूचना

साठका० नि० सं० ४५ —— भारतीय प्रशासन सेवा इवेन्यू नियम, 1954 के नियम ।। के साथ प्रदित्त अधिन भारतीय प्रशासन खेता अधिनियम, 1951 (1951 का ६।। की धारा ३ के उपधारा ४।। के अनुकूल शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पंजाब सरकार के प्रशासन से भारतीय प्रशासन खेता इवेन्यू नियम, 1954 में थीर आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा नियमित नियम बनाती है, अर्थात् :-

१. ४।। इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा वेतन नियम ६ठ्ठा० संशोधन नियम, 1978 है ।

५।। ये राज्यमें प्रकाशन की तारीख से पृष्ठत्त होंगे ।

२- भारतीय प्रशासन सेवा इवेन्यू नियम 1954 के साथ ईस्ट अन्दूचिक ।।।-क में राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा के सभ्य वेतन मान से अधिक वेतन पाले पद "शीष्क के अधीन" पंजाब पविलिय के आगे तत्स्थानी पद "वित्त आडुकत राज्य" और "वित्त आडुकत -मर्क" के स्थान पर "वित्त आडुकत" प्रतिस्थापित दिया जाय ।

कृष्ण गोपी
कृष्णगाल गोपी

अवर सचिव, भारत सरकार